बिहार सरकार
वायुयान संगठन निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
हवाई अड्डा, पटना– 800014

TEL. No:- 0612-2225659, 2224423
e-mail-cadbihar@bihar.gov.in

–:: *संकल्प* ::–

पटना--14, दिनांक–..........................

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि कैप्टन विवेक परिमल, विमान चालक–सह–उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की "प्रगति यात्रा" के क्रम में निदेशालय में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जिससे इनके द्वारा जिलों से हेलिपैड की NOC, Co-ordinates, फोटो तथा विडियो को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गयी है।

2. कै० विवेक परिमल दिनांक 03.01.2025 से लगातार अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं तथा अपने दोनों मोबाईल नम्बर भी बन्द करके रखे हुये हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री की "प्रगति यात्रा" के क्रम में जिलों से हेलिपैड की NOC, Co-ordinates, फोटो तथा विडियो को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का वहन उन्हें निदेशालय का उत्तरदायी प्रबंधक होने के नाते करना था।

3. साथ ही कै० विवेक परिमल द्वारा वायुयान संगठन निदेशालय में विमान चालक के पद पर पदस्थापित रहते हुए राज्य के अतिविशिष्ट व्यक्तियों यथा महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य के वायुमार्ग से गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले राजकीय विमान King Air C-90 A/B, VT-EBG के परिचालन हेतु आवश्यक Currency प्राप्त नहीं किया गया। जिसके कारण राजकीय विमान के परिचालन हेतु वाह्य स्रोत से अतिरिक्ति व्यय पर Co-Pilot मँगाना पड़ा है।

4. उपरोक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(1) के तहत कै० विवेक परिमल विमान चालक–सह–उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबनावस्था में इनका मुख्यालय उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

5. कै० परिमल के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।

6. कै० परिमल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत निलंबनावस्था में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. उपरोक्त पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
निदेशक

ज्ञापांक :– वा०सं०नि० (स्था०)–01–69/2024–1347 पटना, दिनांक– 17/01/2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी० सहित) प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– वा०सं०नि० (स्था०)–01–69/2024– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैय० दा० नि० को०), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निदेशक, उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय/आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/कै० विवेक परिमल, विमान चालक–सह–उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक